


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### —: कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय-व्याख्याता	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	अब्दुल अजीम – राउमावि. पहाड़गंज, जयपुर	उर्दू	माह अक्टूबर 2019	शहीद अमित भारद्वाज राउमावि. माणक चौक कृषि (व्याख्याता) के रिक्त पद से
2	अनिल कुमार – राउमावि. 4 पीपीएम, पदमपुरा, श्रीगंगानगर	भूगोल	माह जनवरी 2021	राउमावि. निरवाणा, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर इतिहास (व्याख्याता) के रिक्त पद से

उपर्युक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/वेतन व्यवस्था/2020-21/94 दिनांक- 04/03/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर